प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2026

उ0नि0 सुभाष विश्वकर्मा की निरीक्षक पद पर पदोन्नति, पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कंधों पर स्टार लगाकर किया गया अलंकृत-

गोण्डा । जनपद के थाना कटरा बाजार में नियुक्त उ0नि0 सुभाष विश्वकर्मा का निरीक्षक पद पर पदोन्नति के अवसर पर पुलिस कार्यालय में अलंकृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। पदोन्नति के उपरान्त पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा उनके कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें निरीक्षक पद से अलंकृत किया गया । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पदोन्नत निरीक्षक को उनके नवीन पद के दायित्वों के संबंध में शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यों का निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पदोन्नति के साथ अधिकारी के दायित्वों में भी वृद्धि होती है, अतः अपने दायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी एवं कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन करते हुए पुलिस विभाग की गरिमा एवं मर्यादा को बनाए रखें।

पदोन्नति के अवसर पर पुलिस कार्यालय में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चोरी के सामान सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के सामान व ₹1,220/- नकद बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी नियाज अहमद पुत्र तालुकदार निवासी ग्राम रुद्रगढ़ नौसी, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि वह अपने परिवार सहित मुम्बई में निवास करता है। उसके पट्टीदार आरिफ पुत्र बकरीदी भी अपने परिवार के साथ मुम्बई में रहते हैं। दोनों के गांव वापस आने पर अपने-अपने घरों को खोलकर देखा तो घर में रखा गेहूं, चावल एवं सरसों ड्रम से निकालकर चोरी कर लिया गया था। साथ ही घर में रखे पंखे एवं बैटरी भी गायब थे। इसी प्रकार आरिफ के घर से भी बर्तन एवं पंखे चोरी कर लिए गए थे। वादी के अनुसार उक्त सामान को मो0 रशीद पुत्र मो0 रफीक, मो0 रिजवान पुत्र मो0 निसार, मो0 अफाख पुत्र मुजीब अंसारी एवं रामू पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम नकहरा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा चोरी कर बेच दिया गया है। लिखित तहरीर की आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 04.11.2026 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में रात्रि गश्त एवं चोरी की घटना के अनावरण के क्रम में मुखबिर की सूचना पर ग्राम रूदगढ़ नौसी से सिंहपुर जाने वाले मार्ग पर गौशाला के पास से अभियुक्त रामू पुत्र मेवालाल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 02 अदद सीलिंग फैन, 20 मीटर बिजली का केबल तार, 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी एवं ₹1,220/- नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त रामू ने बताया कि उसने अपने साथी मो0 रशीद पुत्र मो0 रफीक, मो0 रिजवान पुत्र मो0 निसार एवं मो0 आफाक पुत्र मो0 मुजीब अंसारी, निवासीगण ग्राम रूदगढ़ नौसी, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा के साथ मिलकर नियाज अहमद एवं आरिफ के घर में चोरी की थी। अभियुक्त ने बताया कि उनके घर से कई दिनों में धीरे-धीरे चावल, सरसों एवं गेहूं की बोरियां चोरी कर दुकानों पर बेच दी थीं तथा प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली थी। इसके अतिरिक्त दो सीलिंग फैन, बिजली का केबल तार एवं कुल्हाड़ी भी चोरी की थी, जिन्हें बेचने के लिए वह ले जा रहा था। अभियुक्त के कब्जे से बरामद ₹1,220 चोरी किए गए अनाज को बेचने से प्राप्त धनराशि में उसके हिस्से के थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01-रामू पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम नकहरा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-385/2026, धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01.02 अदद सीलिंग फैन।
02.20 मीटर बिजली का केबल तार।
03.01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी (लकड़ी का बेंट लगा हुआ)।
04.₹1,220/- नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01.उ0नि0 त्रिपुरारी मिश्रा, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।
02.हे0का0 सुरेश यादव।
03.हे0का0 सर्वेश।
04.का0 राहुल।

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04-11-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा--

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2021 को उपनिरीक्षक लाल बिहारी हमराही पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त एवं क्षेत्र की देखभाल कर रहे थे। इसी दौरान रेक्सडिया मोड़ से लगभग 50 मीटर पहले भटपुरवा की ओर से एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस बल को देखकर उक्त व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजकुमार गोड़िया पुत्र रामदीन निवासी ग्राम धनावा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे में मौजूद थैले से 01 किलोग्राम 600 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवावा किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तो के चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना परसपुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर का0 उत्तम राणा व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकांत की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 04-11-2026 को दोषी अभियुक्त राजकुमार गोड़िया को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या-01 महोदय श्री सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कारावास व रूपये 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त जनपद का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 1997 से 2020 तक चोरी, नकबजनी, लूट, हत्या के प्रयासडकैती/, धोखाधड़ी, कूटरचना, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में जनपद गोण्डा के थाना परसपुर, नवाबगंज एवं कोतवाली नगर में कुल 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त का विवरण-

01- राजकुमार गोड़िया पुत्र रामदीन, निवासी ग्राम शाहपुर धनावा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0-195/2021, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के मामले में 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

दिनांक 19.07.2026 को थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 716/2026, धारा 85, 80(2) बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम ने ग्राम कैथौला डीहा स्थित अभियुक्तों के घर पर दबिश देकर मुकदमे से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों जय देवी एवं रामप्रकाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुरलीधर दूबे निवासी नदईपुरवा बमडेरा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री का विवाह दिनांक 07.05.2025 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार रामप्रकाश तिवारी पुत्र सुभाष चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम कैथौला डीहा, थाना कोतवाली देहात के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा आंचल को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस संबंध में मृतका द्वारा अपने मायके पक्ष को भी जानकारी दी गई थी। परिजनों एवं अन्य लोगों द्वारा ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दिनांक 19.07.2026 को सूचना मिली कि आंचल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. जय देवी पत्नी सुभाष चन्द्र तिवारी, निवासी ग्राम कैथौला डीहा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा
2. रामप्रकाश तिवारी पुत्र सुभाष चन्द्र तिवारी, निवासी ग्राम कैथौला डीहा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 716/2026, धारा 85, 80(2) बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अति0 प्र0नि0 श्रवण कुमार वर्मा, थाना कोतवाली देहात।
2. वरिष्ठ उ0नि0 संजय कुमार सिंह।
3. हे0कां0 उमेश प्रताप सिंह।
4. हे0कां0 रवीन्द्र जायसवाल।
5. हे0कां0 संजय मद्देशिया।
6. म0कां0 वैष्णवी तिवारी।
7. म0कां0 साधना सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल फोन बरामद—

कार्यवाही—

थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 411/2026 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पप्पू गौतम निवासी ग्राम छतौनी डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा, को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी विनोद कुमार पुत्र सूजपाल गौतम निवासी ग्राम बढ़नापुर, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रवि कुमार गौतम निवासी ग्राम छतौनी डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा के साथ किया था। वादी के अनुसार, अजय गौतम पुत्र पप्पू गौतम निवासी ग्राम छतौनी डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा के पास उनकी पुत्री का फोटो था तथा वह उनकी पुत्री को आए दिन परेशान करता था। इससे परेशान होकर उनकी पुत्री ने दिनांक 05.09.2026 को समय करीब 05:00 बजे शाम अपनी ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वादी की तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. अजय गौतम पुत्र पप्पू गौतम निवासी ग्राम छतौनी डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा

बरामदगी—

01- 01 अदद स्क्रीन टच मोबाइल फोन (Realme 14 Pro+ 5G), रंग काला।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 411/2026, धारा 108 बीएनएस, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 संदीप वर्मा
2. का0 उमेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के मामले में 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 347/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 01 पुरुष अभियुक्त एवं 01 महिला अभियुक्ता को उनके घर ग्राम पाण्डेयपुरवा, सकतपुर सरैया से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० राधेश्याम निवासी ग्राम जानकी पुरवा, मौजा सकरौरा, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दिनांक 12.05.2026 को सूरज पाण्डेय पुत्र शेष नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम पाण्डेय पुरवा, मौजा सरैया, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा के साथ किया था। आरोप है कि दिनांक 26.07.2026 को दहेज की मांग को लेकर पति सूरज पाण्डेय, जेठ नीरज पाण्डेय, जेठानी रोशनी एवं सास द्वारा एक राय होकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया गया तथा घर में मारकर फांसी पर लटका दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सूरज पाण्डेय पुत्र शेषनारायण पाण्डेय, निवासी ग्राम पाण्डेयपुरवा, सकतपुर सरैया, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
2. माया देवी पत्नी शेषनारायण पाण्डेय, निवासी ग्राम पाण्डेयपुरवा, सकतपुर सरैया, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 347/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 निशा निषाद।
2. का0 अजीत।
3. म0का0 गीता रानी।